**स्पीड पोस्ट/ई-मेल**

# भारत निर्वाचन आयोग

## निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 51/8/6/2015-ईएमएस दिनांक : 10 जुलाई, 2015

सेवा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
बिहार, पटना

विषय : मतदान केन्द्रों पर मानकीकृत वोटिंग कम्पार्टमेंट-तत्संबंधी।

महोदय,

मतदान केन्द्रों में प्रयोग किए जाने वाले वोटिंग कम्पार्टमेंट की सामग्री तथा परिमाण पर विशेष अनुदेशों के बावजूद, आयोग के ध्यान में यह तथ्य आया है कि अनेक मतदान केन्द्रों में वोटिंग कम्पार्टमेंट का निर्माण अपेक्षित रीति से नहीं किया जाता है। गत्ते से बनाए गए कुछ वोटिंग कम्पार्टमेंट पर्याप्त ऊंचाई के नहीं होते हैं, जबकि अन्यों में प्रयुक्त कपड़ा खराब गुणवत्ता वाला एवं पारदर्शी होता है। कुछ मामलों में, वोटिंग कम्पार्टमेंट बनाने के लिए महीन धागे की सामग्री जैसे- धोती, लुंगी, साड़ी, बोरे इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ऐसे मामले मतदान की गोपनीयता की दृष्टि से उपयुक्त नहीं हैं।

आयोग ने निदेश दिया है कि मतदान के समय मत की गोपनीयता बनाए रखने तथा वोटिंग कम्पार्टमेंट के प्रयोग पर एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से, मतदान केन्द्रों पर वोटिंग कम्पार्टमेंट के बारे में निम्नलिखित अनुदेशों का सख्ती से पालन किया जाएगा:-

1. वोटिंग कम्पार्टमेंट का निर्माण केवल गत्ते या फ्लैक्स बोर्ड से किया जाएगा जो अपारदर्शी हो और जो दोबारा उपयोग किया जा सकने वाला हो। यह तीन तह वाला होगा और, प्रत्येक तह का परिमाण 24” x 24”x 24” (लम्बाई x चौड़ाईx ऊंचाई) होगा।
2. वोटिंग कम्पार्टमेंट की सभी तीनों साइड **अनुबंध-‘क’** पर उल्लिखित अनुसार मुद्रित होंगी।
3. यदि मतदान के लिए एक से अधिक बैलट यूनिट का प्रयोग किया जाता है, तो आवश्यकतानुसार वोटिंग कम्पार्टमेंट की चौड़ाई और ऊंचाई बढ़ाई जा सकती है। जहां निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 16 से अधिक होने पर अतिरिक्त बैलट यूनिटों का प्रयोग किया जा रहा हो, वहां पीठासीन अधिकारियों को इसके साथ एतद्द्वारा संलग्न **(अनुबंध-ख)** चित्र में दर्शाई गई रीति से बैलेट यूनिटों को व्यवस्थित करने के लिए विशेष रूप से अनुदेश दिया जाए।
4. चूंकि वोटिंग कम्पार्टमेंटों को मेज के ऊपर रखा जाता है और मेजों की ऊंचाई एतद्द्वारा संलग्न चित्र में यथा प्रदर्शित **(अनुबंध-ग)** 2.5 फीट होनी चाहिए।
5. बैलेट यूनिट को एक मेज पर वोटिंग कम्पार्टमेंट के भीतर रखा जाना है। बैलेट यूनिट को इस प्रकार से रखा जाना है कि मतदाता को अपना मत डालने में कोई कठिनाई न हो। वोटिंग कम्पार्टमेंट को उस मेज से पर्याप्त दूरी पर रखा जाना चाहिए जहां कंट्रोल यूनिट रखा और संचालित किया जाएगा। बैलेट यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट को आपस में जोड़ने वाले केबल की लंबाई लगभग पांच मीटर होती है और यह स्थायी रूप से बैलेट यूनिट से जुड़ी होती है। केबल को इस प्रकार से बिछाया जाए कि यह मतदान केन्द्र

के मतदाताओं की आवाजाही में रुकावट न बने तथा उन्हें इस पर पैर रखकर या कूदकर इसे पार न करना पड़े, बल्कि केबल की पूरी लंबाई दिखाई देनी चाहिए एवं इसे किसी भी स्थिति में कपड़े के नीचे या मेज के नीचे न छिपाया जाए। इसे वोटिंग कम्पार्टमेंट के पश्च भाग के नीचे से एक छिद्र में से निकालकर वोटिंग कम्पार्टमेंट के पिछले भाग से लाना होता है। यह छिद्र पर्याप्त चौड़ा होना चाहिए ताकि बैलेट यूनिट का वह भाग, जिससे केबल बाहर आता है, बाहर की तरफ से स्पष्ट रूप से दिखाई दे। यह आवश्यक है कि इस पर नजर रखी जाए ताकि कोई भी मतदाता जब वोटिंग कम्पार्टमेंट के भीतर हो तो केबल से छेड़-छाड़ करने का प्रयास न कर सके या इसे नष्ट न कर सके। तथापि, वोटिंग कम्पार्टमेंट में यह छिद्र इतना चौड़ा भी नहीं होना चाहिए कि इससे मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन हो सके। वोटिंग कम्पार्टमेंट में ईवीएम को रखते समय, यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन न हो। इस उद्देश्य से यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि यह मतदान केन्द्र की खिड़की या दरवाजे के पास न हो।

भवदीय,

**(मधुसूदन गुप्ता)**
**अवर सचिव**

# <u>अनुबंध - क</u>

## भारत निर्वाचन आयोग

### वोटिंग कम्पार्टमेंट

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**
**VOTING COMPARTMENT**

## अनुबंध-ख

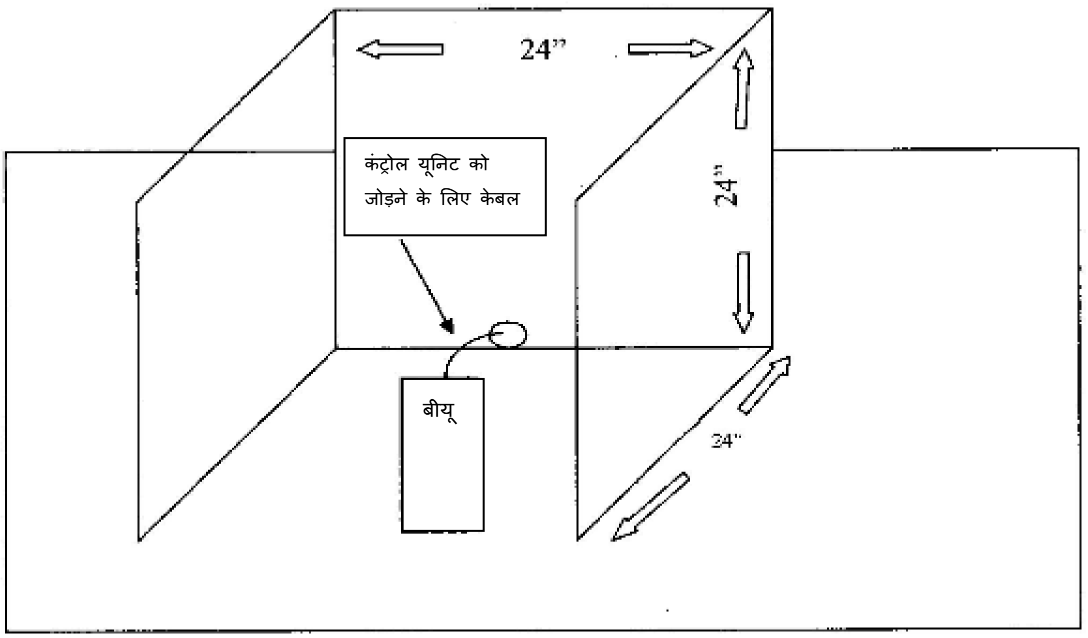
24"
कंट्रोल यूनिट को जोड़ने के लिए केबल
24"
बीयू
24"

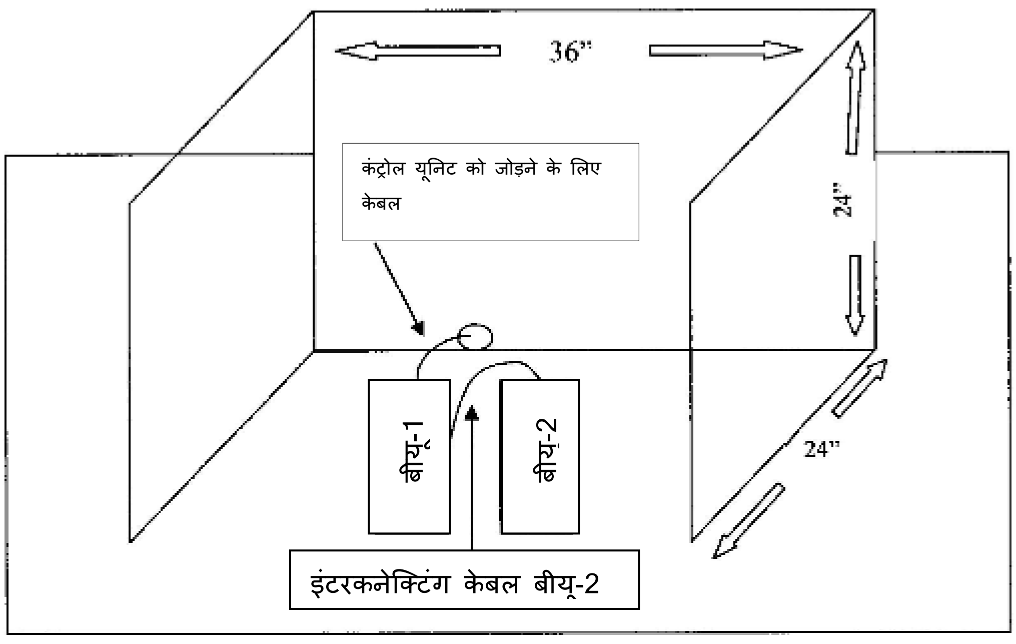
36"
कंट्रोल यूनिट को जोड़ने के लिए केबल
24"
बीयू-1
बीयू-2
24"
इंटरकनेक्टिंग केबल बीयू-2

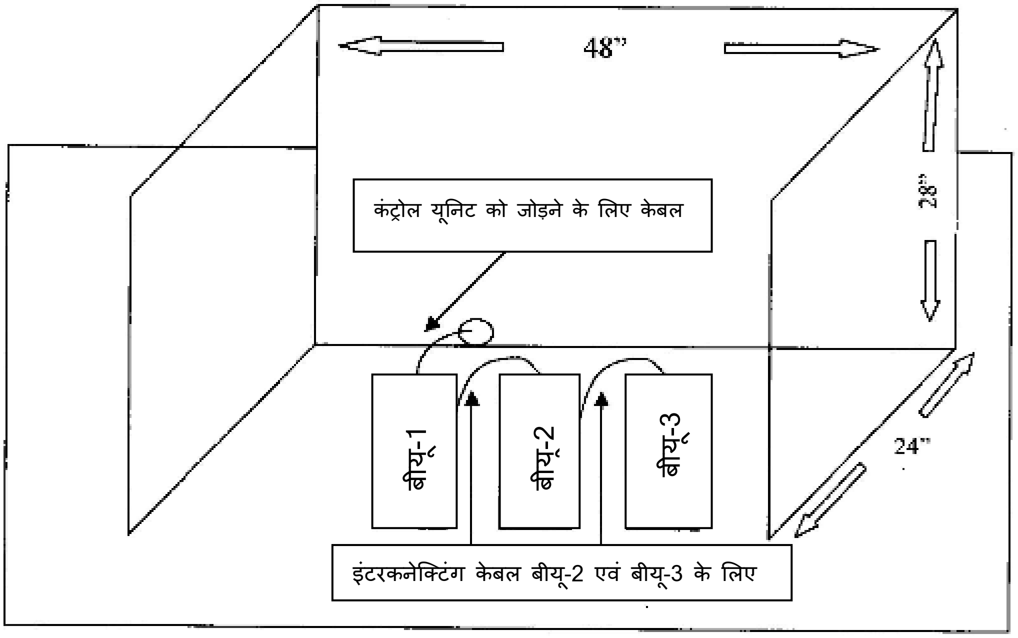
48"
28"
24"
कंट्रोल यूनिट को जोड़ने के लिए केबल
बीयू-1
बीयू-2
बीयू-3
इंटरकनेक्टिंग केबल बीयू-2 एवं बीयू-3 के लिए

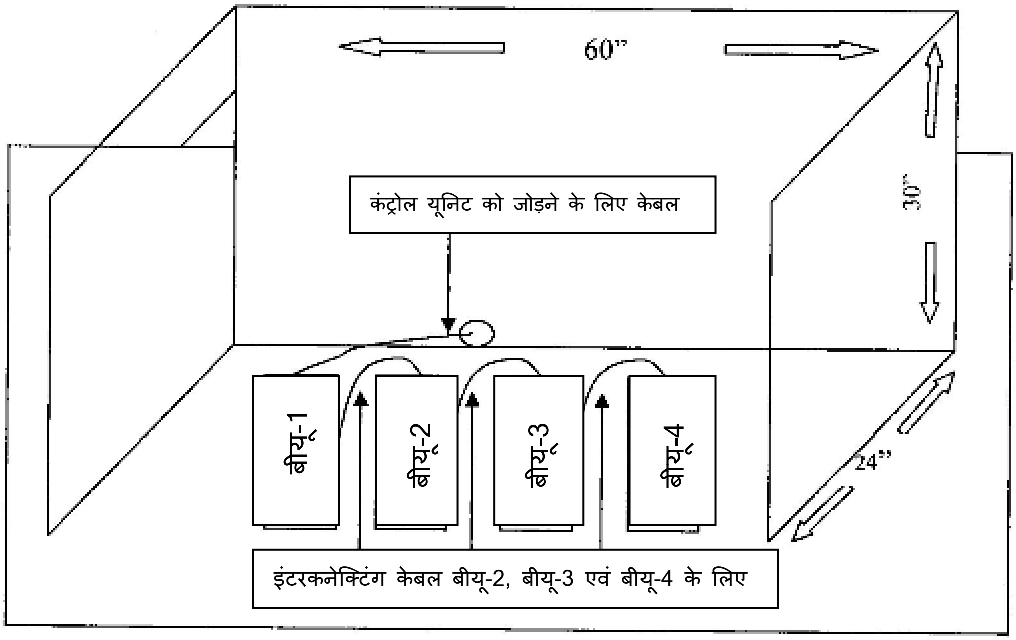
60"
30"
24"
कंट्रोल यूनिट को जोड़ने के लिए केबल
बीयू-1
बीयू-2
बीयू-3
बीयू-4
इंटरकनेक्टिंग केबल बीयू-2, बीयू-3 एवं बीयू-4 के लिए
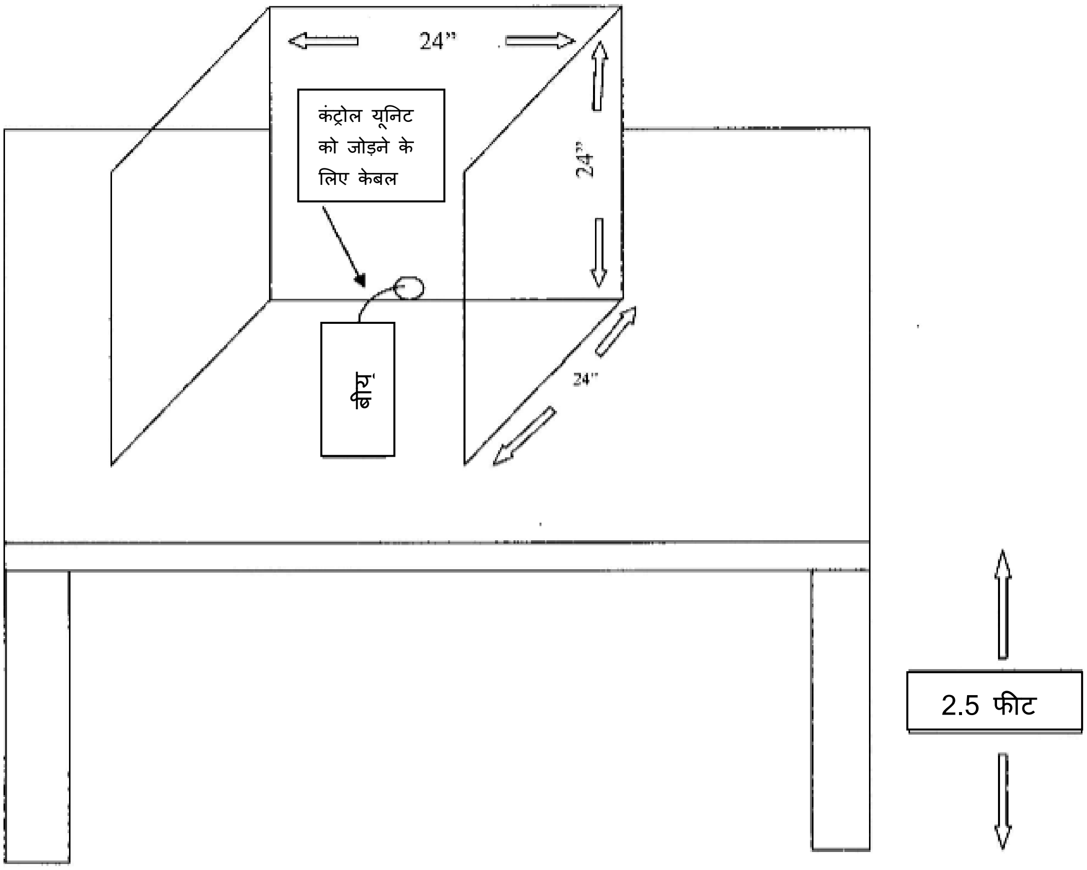
# अनुबंध-ग